राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 116 / 2023 निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति विजालिया जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. घनश्याम / रामचन्द्र गौड निवासी मस्जिद के पास, वार्ड नं0 20. बिजौलिया 2. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बिजौलियां
–निगराकार		**–गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम बाबत निरस्त कराने पट्टा विलेख पट्टा क्रमाक 1705 दिनांक 10.12.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

उपस्थित – 1. विभागीय पक्ष, निगराकार की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 13 / 04 / 2026

निगराकार की ओर से प्रस्तुत पट्टा निगरानी प्रकरण अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 1705 / 10.12.2019 नियम विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। पंचायत द्वारा कायम पत्रावली में नियमों की अवेहलना की गई। नियम 140 के तहत आबादी भूमि संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेज साथ सलग्न नहीं किये है जिसमें आबादी भूमि को प्रमाणिकता नहीं होती है। नियम 141 के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। पत्रावली नियम 142 पट्टा जारी करने से पूर्व प्लान तैयार नहीं किया गया है। नियम 145 के तहत निर्धारित शुल्क जमा नहीं लिया जाकर पत्रावली कायम की गयी। नियम 146 के तहत मोका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया तथा नियम 147 के तहत अन्तिम निर्णय पारीत हुआ कायम की गयी पत्रावली में 148 के तहत आपत्ति पत्र जारी नहीं किया तथा नियम 149 के तहत कार्यवाही नहीं की गयी इसलिये पट्टा निरस्त योग्य है। पत्रावली में प्रार्थी एसी, एसटी, ओबीसी श्रेणी कि सदस्यता नहीं है तथा नियम 158 की उपधारा 2.3.4.5.6.7 की परिधि में नहीं आती हैं तथा इस नियम के तहत जारी पट्टे पर विक्रय योग्य नहीं है। इसका भी विवरण अंकित नहीं है। इसलिये पट्टा खारीज योग्य हैं। कायम की गयी पत्रावली में रियायती दर पर भूखण्ड विक्रय होना बताया है परन्तु प्रार्थी उक्त नियम श्रेणी की पात्रता नहीं रखते है तथा इस नियम में अंकित बिन्दुओं पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं हैं। पत्रावली के समय से पत्रावली में निर्णय के समय तक प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं था तथा प्रार्थीया

13.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में नजरी नक्शा आपत्ति पत्र तथा प्रार्थी से संबंधित स्वयं के वैधानिक दस्तावेज पत्रावली में सलग्न नहीं है। जिस स्थान पर प्रार्थी को रियायती दर पर भूखण्ड आंवटित किया गया उसके बजाय बोली नियमों के तहत पट्टा जारी होने पर राज्य कोष में ज्यादा प्राप्त होने की सभावना थी तथा वर्तमान में भी ज्यादा राशि प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये पट्टा निरस्त योग्य हैं। निवेदन है कि निगराकार कि निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पट्टा संख्या 1705 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया है। खारीज कराना फरमायें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस सुनी गइ।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि बीडीओ माण्डलगढ की रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ पंचायत द्वारा नियमों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत पट्‌टा संख्या 1705 जारी किया गया है। विपक्षी पंचायत 1 व 2 द्वारा कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया एवं न ही बहस हेतु उपस्थित हुए। निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम सारगर्भित होने से स्वीकार योग्य ठहरती है। प्रश्नगत पट्‌टा संख्या 1705 विधि विरूद्ध एवं पंचायती राज नियमों की पालना के बिना ही जारी होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक13 .04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.4.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा